51

III/निग0/(सिंगरौली)/भू-रा0/2017/2910

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

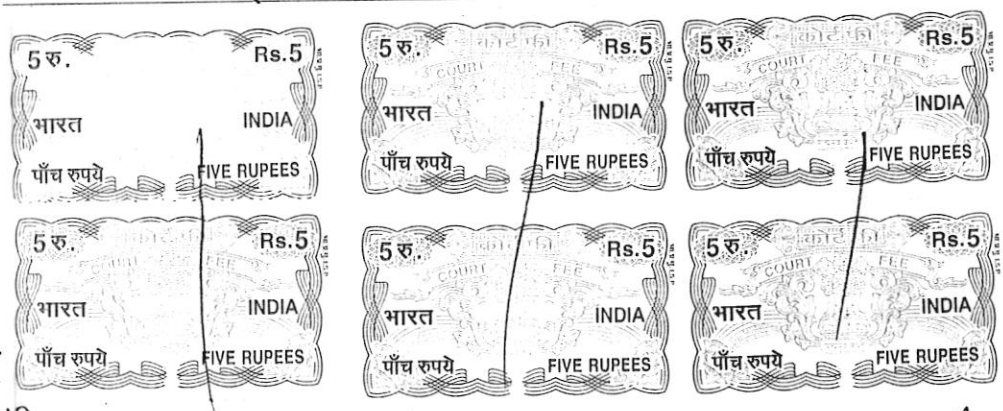

अधि0 श्री [illegible] द्वारा पेश/28.8.17

मातादीन यादव तनये स्व0 ईश्वरदीन यादव पेशा–खेती, निवासी ग्राम–देवगांव, थाना व तहसील–चितरंगी, जिला–सिंगरौली (म0प्र0) ––––––आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

चौरी यादव मृतक द्वारा विधिक वारिसान

1. लालता प्रसाद उर्फ लाला पुत्र स्व0 रामनाथ एवं माता स्व0 चौरी उम्री–55 साल सा0 बेलहवा, तहसील–चितरंगी, जिला–सिंगरौली (म0प्र0)
2. बुटलवा पुत्री स्व0 रामनाथ एवं माता स्व0 चौरी एवं पत्नी रामनरेश यादव सा0 बेलहवा, तहसील–चितरंगी, जिला–सिंगरौली (म0प्र0)
3. राम पियारे पुत्र स्व0 रामनाथ एवं माता स्व0 चौरी सा0 बेलहवा, तहसील–चितरंगी, जिला–सिंगरौली (म0प्र0)
4. श्रीमती बुटइया पुत्री स्व0 रामनाथ एवं माता स्व0 चौरी यादव एवं पत्नी लाला यादव सा0 खुरमुचा, तहसील–चितरंगी, जिला–सिंगरौली (म0प्र0)
5. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 रामनाथ एवं माता स्व0 चौरी यादव सा0 बेलहवा, तहसील–चितरंगी, जिला–सिंगरौली (म0प्र0)

––––––––अनावेदकगण/गैर पुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार चितरंगी जिला–सिंगरौली राजस्व प्रकरण क्रमांक–30/अ–74/2016–17 आदेश दिनांक 30.06.2017

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा–50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

मातादीन यादव

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन–निगरानी / सिंगरोली / भू.रा. / 2017 / 2910

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-2018	निगरानी की ग्राह्यता पर के आवेदक के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। निगरानीकर्ता के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख से परिलक्षित है कि तहसीलदार चितरंगी ने प्रकरण कमांक 30 अ–74/2016–17 को पारित आदेश दिनंक 30–6–17 से इस आधार पर खारिज किया है:– " वादी व्दारा प्रस्तुत दावा के संबंध में राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश के प्रकरण कमांक 279–तीन / 2015–16 दिनांक 12–1–2017 के विरूद्व उच्च न्यायालय जबलपुर में अपील कमांक W.P. 2658 / 2017 दिनांक 3–3–2017 विचाराधीन होने से प्रकरण खारिज किया जाता है। " उपरोक्त से स्पष्ट है कि तहसीलदार का आदेश अंतिम आदेश है जिसकी प्रथम अपील उपखंड अधिकारी को होगी। म.प्र.राज्य बनाम जयरामपुर को–आपरेटिव्ह सोसायटी 1979 रा.नि. 465 तथा केषरवाई विरूद्व बल्दुआ 1993 रा.नि. 222 में बताया गया है कि मामला प्रथमतः उच्चतर प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत न करते हुये सवसे निचले न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये। आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके है कि ऐसी कौनसी विषम परिस्थितियां हैं अथवा विशिष्ट कारण हैं जिनके आधार पर निगरानी सीधे राजस्व मण्डल में सुनी जावे।	

फलस्वरूप तहसीलदार के अंतिम आदेश के विरूद्ध सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनना उचित नहीं है। आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त कारणों से निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई–योग्य न होने से अमान्य की जाती है।

सदस्य